रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1974/वैसाख 7, 1896

No. 100] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1974/VAISAKHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April 1974

S.O. 270(E).—Whereas certain modifications, which the Central Government propose to make in the Master Plan and the Zonal Development Plans for Zone D-1 (Connaught Place and its Extension including architectural elevation control), Zone D-3 (Curzon Road), Zone D-4 (Parliament Street), and Zone D-5 (D.I.Z. area) regarding the areas mentioned in the Schedule annexed hereto, were published with Notice No. F.3(256)/72-M.P., dated the 9th December, 1972, in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) for inviting objections and suggestions, as required by sub-section (3) of section 11A of the said Act;

And whereas the Central Government, after considering the objections and suggestions with regard to the aras mentioned in the aforesaid Schedule, have decided to modify the Master Plan and the Zonal Development Plans;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the modifications in the Master Plan and the Zonal Development Plans with effect from the date of publication of the notification in the Gazette of India, as per the Schedule:

SCHEDULE

1. *Modifications in the Master Plan*:

Land uses:

(i) An area measuring about 0.8 hect (2 acres) falling in Zone D-3 (Curzon Road) and bounded by Janpath, Ferozeshah Road, Telegraph Lane, and the area earmarked for commercial use, is changed from "residential" to "commercial use (hotel)".

(ii) An area measuring about 1.6 hects (4 acres) falling in Zone D-4 (Parliament Street area) and bounded by Janpath, Ashoka Road, Service Lane and Janpath Hotel, is changed from "residential" to "commercial use (hotel)".

Zoning Regulations:

(i) On page 60 of the Master Plan under the heading IV "Commercial and Retail" in sub-paragraph (a), for the expression "F.A.R..... 400" the following shall be substituted:—

"Maximum F.A.R. (Connaught Place and its extension)..... 250.

Maximum F.A.R. (Minto Road and Ranjit Singh Road)..... 400"

(ii) The maximum permissible coverage of 50 per cent on the ground and first floors and 35 per cent on the upper floors has been reduced to 25 per cent and 30 per cent respectively, for Connaught Place and its Extension.

(iii) An area measuring about 4.05 hects. (10 acres) earmarked for flatted factories, bounded by Railway line, School Lane, Fire Brigade Lane and commercial area, is to be used for "service industries".

(iv) The area of Zone D-1 (Connaught Place and its Extension) has been extended from 93.69 hects. (231.5 acres) to 141.24 hects (349 acres) by adding the areas from Zones D-3 (Curzon Road), D-4 (Parliament Street), D-5 (D.I.Z. area) to the extent of 9.88 hects. (24.4 acres), 33.95 hects. (83.9 acres) and 3.72 hects. (9.2 acres) respectively, and has been renamed as enlarged Zone D-1.

2. *Modifications in the Zonal Plans*:

(i) *Zone D-3 (Curzon Road area)*:

An area measuring about 9.88 hects. (24.4 acres) fronting on Janpath (one plot depth) bounded by Tolstoy Marg-Telegraph Lane-Electric Lane-Ferozeshah Road—Janpath is deleted from Zone D-3 and shall form part of enlarged Zone D-1.

(ii) *Zone D-4 (Parliament Street area)*:

An area measuring about 33.95 hects. (83.9 acres) comprising the following pockets is to be deleted from Zone D-4 (Parliament Street area) and shall now form part of enlarged Zone D-1;

(a) Pocket measuring about 14.16 hects. (35 acres) fronting on Janpath (one plot depth) bounded by Tolstoy Marg (proposed)-Janpath-Ashoka Road-Service Lane behind Imperial Hotel.

(b) Pocket measuring 4.65 hects (11.5 acres(fronting on Parliament Street (one plot depth) and bounded by Tolstoy Marg (proposed) Jantar Manter Road—Ashoka Road and Parliament Street.

(c) Pocket measuring 15.14 hects. (37.4 acres) fronting on Parliiament Street and bounded by Connaught Circus—Parliament Street—Ashoka Road—Jai Singh Road—Hanuman Lane and Irwin Road.

(iii) *Zone D-5 (D.I.Z. area)*

An area measuring about 3.72 hects. (9.2 acres) bounded by Bhagat Singh Marg (Lady Hardinge Road)—Connaught Circus—Irwin Road and Service Lane is to be deleted from Zone D-5 and shall form part of enlarged Zone D-1.

(iv) *Enlarged Zone D-1:*

The zonal development plan for Zone D-1 (Connaught Place and its Extension) and the portions of the zones mentioned in paras (i), (ii) and (iii) above are to be modified as proposed in the text and the plan of the enlarged Zone D-1.

The development control drawings relating to these modifications in the Master Plan and the Zonal Development Plans mentioned in the Schedule can be seen in the office of the Design Group Ministry of Works and Housing, Vigyan Bhavan Annexe II, New Delhi, New Delhi Municipal Committee and the Delhi Development Authority, Vikas Bhavan, New Delhi.

[No. K-12014(9)/72-UDI]

R. GOPALASWAMY, Jt. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1974

अधिसूचना

का० आ० 270 (अ).—अतः इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों के विषय में कतिपय उपान्तरण, जिन्हें केन्द्रीय सरकार जोन-डी- 1 (कनाट प्लेस और उसका एक्सटेंशन, जिसके अन्तर्गत वास्तुकलात्मक उच्चतापन नियंत्रण भी है), जोन डी–3 (कर्जन रोड), जोन डी–4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट), और जोन डी–5 (डी० आई० जेड क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास प्लानों में करने की प्रस्तावना करती है, सूचना सं० फा० 3(256)/72—एम० पी०, तारीख 9 दिसम्बर, 1972 के साथ, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और अतः केन्द्रीय सरकार ने, पूर्वोक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास प्लानों को उपान्तरित करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास प्लानों में अनुसूची के अनुसार उपान्तरण करती है :

अनुसूची

1. **मास्टर प्लान में उपान्तरण :**

भूमि उपयोग :

(i) जोन डी–3 (कर्जन रोड) में का वह क्षेत्र, जिसका माप लगभग 0.8 हेक्टेयर (2 एकड़) है और जो जनपथ, फिरोजशाह रोड और टेलीग्राफ-लेन से सीमाबद्ध है और

जो क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए सुरक्षित है, "आवासी" से "वाणिज्यिक उपयोग (होटल)" में बदल दिया गया है।

(ii) जोन डी–4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट क्षेत्र) में का वह क्षेत्र, जिसकी माप लगभग 1.6 हेक्टेयर (4 एकड़) है और जो जनपथ, अशोक रोड, संसद लेन और जनपथ होटल से सीमाबद्ध है, "आवासी" "वाणिज्यिक उपयोग (होटल)" में बदल दिया गया है।

क्षेत्रीय विनियमन :

(i) मास्टर प्लान के पृष्ठ 60 पर, उप-पैरा (क) में शीर्षक 4 "वाणिज्यिक और फुटकर" के नीचे "एफ० ए० आर०.....400" पद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"अधिकतम एफ० ए० आर० (कनाट प्लेस और उसका एक्सटेंशन)——————— 250.

अधिकतम एफ० ए० आर० (मिन्टो रोड और रणजीत सिंह रोड) ——————— 400"।

(ii) कनाट प्लेस और उसके एक्सटेंशन के लिए पहली और दूसरी मंजिलों पर 50 प्रतिशत तथा ऊपरी मंजिलों पर 35 प्रतिशत अधिकतम अनुज्ञेय आच्छादन को कम करके क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) वह क्षेत्र, जिसकी माप लगभग 4.05 हेक्टेयर (10 एकड़) है और जो फ्लैटेड कारखानों के लिए सुरक्षित है और जो रेलवे लाइन, स्कूल लेन, फायर ब्रिगेड लेन और वाणिज्यिक क्षेत्र से सीमाबद्ध है, "सेवा उद्योगों के लिए उपयोग किया जाएगा"।

(iv) जोन डी–1 (कनाट प्लेस और उसका एक्सटेंशन) का क्षेत्र, जोन डी–3 (कर्जन रोड), डी-4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट), और डी–5 (डी० आई० जेड० क्षेत्र) में से क्रमशः 9.88 हेक्टेयर (24.4 एकड़), 33.95 हेक्टेयर (83.9 एकड़) और 3.72 हेक्टेयर (9.2 एकड़) की सीमा तक के क्षेत्रों को जोड़ कर 93.69 से हेक्टेयर (231.5 एकड़) 141.24 हेक्टेयर (349 एकड़) बढ़ा दिया गया है और उसको अभिवर्धित जोन डी-1 के रूप में पुनः नामित किया गया है।

2. **क्षेत्रीय प्लानों में उपान्तरण** :

(i) **जोन डी–3 (कर्जन रोड क्षेत्र)** :

जनपथ (बन प्लाट डेप्थ) के सामने का वह क्षेत्र, जिसकी माप लगभग 9.88 हेक्टेयर (24.4 एकड़) है और टालस्टाय मार्ग-टेलीग्राफ लेन-इलैक्ट्रिक लेन-फिरोजशाह रोड-जनपथ से सीमाबद्ध है, जोन डी–3 से निकाल दिया गया है और वह अभिवर्धित जोन-डी–1 का भाग होगा।

(ii) **जोन डी–4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट क्षेत्र)** :

वह क्षेत्र, जिसकी माप लगभग 33.95 हेक्टेयर (83.9 एकड़) है और जिसमें निम्नलिखित पार्किटें समाविष्ट हैं, जोन-डी–4 (पार्लियामेंट स्ट्रीट क्षेत्र) से निकाल दिया जाएगा और वह अब अभिवर्धित जोन–डी 1 का भाग होगा :

(क) जनपथ (बन प्लाट डेप्थ) के सामने की वह पार्किट, जिसकी माप लगभग 14.16 हेक्टेयर (35 एकड़) है और जो टालस्टाय मार्ग (प्रस्तावित)-जनपथ-अशोक रोड-सर्विस लेन (इम्पीरियल होटल के पीछे) से सीमाबद्ध है।

(ख) पार्लियामेंट स्ट्रीट (बन प्लाट डेप्थ) के सामने की वह पार्किट, जिसकी माप 4.65 हेक्टेयर (11.5 एकड़) है और जो टालस्टाय मार्ग (प्रस्तावित) जन्तर मंतर रोड-अशोक रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट से सीमाबद्ध है।

(ग) पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने की वह पार्किट, जिसकी माप 15.14 हेक्टेयर (37.4 एकड़) है और जो कनाट सर्कस-पार्लियामेंट स्ट्रीट-अशोक रोड-जय सिंह रोड-हनुमान लेन और इर्विन रोड से सीमाबद्ध है।

(iii) **जोन डी-5 (डी० आई० जेड० क्षेत्र)** :

वह क्षेत्र जिसकी माप लगभग 3.72 हेक्टेयर (9.2 एकड़) है और जो भगत सिंह मार्ग (लेडी हार्डिंग रोड)-कनाट सर्कस-इर्विन रोड और सर्विस लेन से सीमाबद्ध है, जोन डी–5 से निकाल दिया जाएगा और वह अभिवर्धित जोन डी–1 का भाग होगा।

(iv) **अभिवर्धित जोन–डी–1** :

जोन डी–1 (कनाट प्लेस और उसका एक्सटेंशन) के लिए क्षेत्रीय विकास प्लान और उपरोक्त पैरा (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित जोनों के भागों को, अभिवर्धित जोन डी के पाठ और प्लान में प्रस्तावित रूप में उपान्तरित किया जाए।

अनुसूची में उल्लिखित मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास प्लानों में इन उपान्तरणों से सम्बन्धित विकास नियंत्रण रेखाचित्र, डिजाइन ग्रुप, निर्माण और आवास मंत्रालय, विज्ञान भवन एनेक्स 2, नई दिल्ली, नई दिल्ली नगरपालिका समिति और दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, नई दिल्ली के कार्यालयों में देखे जा सकते हैं।

[सं० के० 12014(9)/72–यू० डी० I]

आर० गोपालस्वामी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974